



मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

एफ04 ( ) एमएनजेवाई/2013

2652

दिनांक

10-6-13

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय:-** मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनान्तर्गत चिकित्सा संस्थानों पर उपकरण क्रय करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनान्तर्गत इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2528 दिनांक 30.05.13 के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उन उपकरणों के क्रय करने हेतु अधिकृत किया जाता है जिन्हें राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा क्रय/दर संविदा नहीं की गई है अथवा राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा तय समय सीमा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101302597 दिनांक 10.06.13 के अनुसार अनुमोदित है।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ04( )/एमएनजेवाई/13/

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय चि0 एवं स्वा0 सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक/नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, जयपुर।
8. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर